सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग

बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987

अधिसूचना दिनांक 28 सितम्बर 1987

जो० एस० आर० सं० 32, दिनांक 28 सितम्बर, 1987 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम संख्या 68) की धारा 30 की उप-धारा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) इस नियमावली का नाम बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 है।

(2) यह उस तिथि से प्रदत्त होगी, जिसे राज्य सरकार "बिहार राजपत्र" अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. परिभाषाएं—इस नियमावली में जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम संख्या 68)।

(ख) "एजेन्सी" से अभिप्रेत है किसी पक्षकार द्वारा राज्य आयोग या जिला फोरम के समक्ष अपनी ओर से कोई परिवाद या अपील या उत्तर-पत्र उपस्थापित करने के लिये सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति।

(ग) "अपीलकर्त्ता" से अभिप्रेत है, वह पक्षकार जो जिला फोरम के आदेश के विरुद्ध अपील करे।

(घ) "ज्ञापन" से अभिप्रेत है अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल की गयी अपील की ज्ञापन।

(च) "विरोधी पक्षकार" से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जो परिवाद अथवा दावा का उत्तर दे।

(छ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है यथास्थिति राज्य आयोग या जिला फोरम का अध्यक्ष।

(ज) "प्रतिवादी" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो अपील के ज्ञापन का उत्तर दे ।

(झ) "राज्य" से अभिप्रेत है बिहार राज्य ।

3. जिला फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं अन्य भत्ते तथा बंधेज और शर्तें—(1) जिला फोरम के अध्यक्ष को, यदि उसे पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया गया हो तो जिला न्यायाधीश का वेतन और यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे बैठक की अवधि के लिये दैनिक 150 रुपये का मानदेय प्राप्त होगा । अन्य सदस्यों को भी यदि वे पूर्णकालिक आधार पर हों, तो प्रतिमाह 2,000 रुपये का मानदेय और यदि अंशकालिक आधार पर हों तो बैठक की अवधि के लिये दैनिक 100 रुपये का समेकित मानदेय प्राप्त होगा ।

(2) जिला फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्य सरकारी तौर के संबंध में ऐसे यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के श्रेणी 1 के पदाधिकारी को अनुमान्य है ।

(3) वेतन, मानदेय एवं अन्य भत्तों का भुगतान राज्य सरकार की संचित निधि से किया जायेगा ।

(4) नियुक्ति के पूर्व जिला फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्यों को यह वचन देना होगा कि उन्हें ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न होगा जिससे सदस्य के रुप में उनके कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

(5) धारा-10 (2) के उपबन्धों के अतिरिक्त राज्य सरकार के जिला फोरम के ऐसे अध्यक्ष एवं सदस्य को पद से हटा सकेगी ।

(क) जिसे दिवालिया, न्याय निर्णीत किया गया हो, अथवा

(ख) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्ध दोषी ठहराया गया हो, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हो, या

(ग) जो सदस्य के रुप में कार्य करने के लिये शारीरिक अथवा मानसिक रुप में असमर्थ हो गया हो, अथवा

(घ) जिससे ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित हो गया हो जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्य करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या

(ङ) जिसने अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया हो, जिससे उसके पद पर बना रहना लोकहित में प्रतिकूल हो —

परन्तु अध्यक्ष या सदस्य को उप-नियम 5 के खंड 'घ' एवं 'ङ' में विनिर्दिष्ट आधार पर अपने पद से नहीं हटाया जायेगा जबतक कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जांच न कर ली जाय और सदस्य को इसका दोषी न पाया जाय ।

(6) जिला फोरम के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के बंधेज एवं शर्तें इसके कार्यकाल के दौरान इस प्रकार परिवर्तित नहीं की जायेंगी कि इन्हें हानि हो जाय ।

(7) जहाँ जिला फोरम के अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो जिला फोरम का (नियुक्ति के क्रम में) वरीयतम सदस्य जो उस समय कार्यरत हो, अध्यक्ष के कार्य का तबतक संपादन करेगा जबतक कि ऐसी रिक्ति को भरने के लिये निश्चित किया गया व्यक्ति जिला फोरम के अध्यक्ष का पद ग्रहण नहीं कर ले ।

(8) जब जिला फोरम का अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य कारणों से अपना कार्य संपादित करने में असमर्थ हो, तो जिला फोरम का (नियुक्ति के क्रम में) वरीयतम सदस्य अध्यक्ष के कार्यों का तबतक संपादन करेगा जबतक कि अध्यक्ष अपने कार्यों का प्रभार पुनः नहीं ले ले ।

(9) अध्यक्ष या कोई सदस्य इस रूप में पद पर न रह जाने पर किसी ऐसे संगठन में कोई नियुक्ति ग्रहण नहीं करेगा या उसके प्रबन्ध या प्रशासन से संबद्ध नहीं रहेगा जो जिस तारीख को वह इस पद पर न रह गया हो उस तारीख से पांच वर्षों की कालावधि के दौरान अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही का विषय-वस्तु रहा हो ।

4. बैठक का स्थान तथा जिला फोरम सम्बन्धित अन्य विषय— (1) जिला फोरम का कार्यालय जिला के मुख्यालय में अवस्थित रहेगा । सम्प्रति जिला फोरम पुराने प्रमण्डलीय मुख्यालय, पटना, रांची, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में होगा जिनकी अधिकारिता सम्बन्धित जिला के क्षेत्र या सीमा तक ही सीमित रहेगी ।

(2) राज्य सरकार जिला फोरम का कार्य दिवस समय-समय पर अधिसूचित करेगी ।

(3) जिला फोरम की सरकारी मोहर तथा 5 सम्प्रतिक (Emblem) ऐसा होगा जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे ।

(4) जिला फोरम की बैठक आवश्यकतानुसार उप-धारा 2 के प्रावधान के अनुसार अध्यक्ष द्वारा बुलाई जायेगी ।

(5) जिला फोरम का कोई कार्य अथवा कार्यवाही मात्र इसकी सदस्यता में रिक्ति या इसके गठन में त्रुटि के कारण अवधि मान्य नहीं होगा ।

(6) राज्य सरकार ऐसे स्टाफ को नियुक्ति करेगी जो फोरम को दैनिक कार्यों के सम्पादन में और इस नियमावली के अधीन उपबन्धित या अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए कृत्यों के निष्पादन में सहायता हो । ऐसे कर्मचारियों के वेतन का भुगतान राज्य सरकार की संचित निधि से किया जायेगा ।

(7) जहाँ तथ्यों की स्वीकृति या तो अभिवचन में या अन्यथा मौखिक या लिखित रूप में की गई हो वहाँ फोरम बाद के किसी प्रक्रम में किसी पक्षकार के आवेदन करने पर या स्वप्रेरणा से तथा पक्षकारों के बीच अन्य कोई प्रश्न के अवधारण के लिये प्रतीक्षा किये बिना ऐसा स्वीकृति के संबंध में आदेश देगा या परिवाद का निर्णय करेगा, जैसा वह उचित समझे ।

(8) यदि धारा 13 के अधीन संचालित कार्यवाही के दौरान जिला फोरम पक्षकारों को सुनवाई के लिये एक तिथि निश्चित करे तो परिवादी एवं विरोधी पक्षकार अथवा उसके प्राधिकृत एजेंट के लिये यह आबद्धकर होगा कि वह सुनवाई की उस तिथि को या किसी अन्य तिथि को जबतक के लिये सुनवाई स्थगित की गयी हो, जिला फोरम के समक्ष उपस्थित हो । जहाँ परिवादी या उसका प्राधिकृत एजेंट ऐसी तिथि पर जिला फोरम के समक्ष उपस्थित होने में असफल हो तो जिला फोरम अपने विवेकानुसार या तो परिवाद के व्यतिक्रम के आधार पर खारिज कर सकेगा, या गुणागुण के आधार पर निर्णय दे सकेगा । जहां विरोधी पक्षकार या उसका प्राधिकृत एजेंट सुनवाई के दिन उपस्थित होने में असफल हो जाय तो जिला फोरम परिवाद में एक पक्षीय निर्णय दे सकेगा ।

(9) उप-धारा 8 के अधीन कार्रवाई करते समय जिला फोरम ऐसे खर्चेजों जिन्हें वह उचित समझे तथा किसी प्रक्रम पर परिवाद की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा किन्तु सामान्यतया एक से अधिक स्थगन नहीं दिया जायेगा और

जहाँ परिवाद में माल के विश्लेषण अथवा जाँच की अपेक्षा न हो वहाँ विरोधी पक्षकार द्वारा सूचना प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर और जहाँ मालों के विश्लेषण अथवा जाँच की अपेक्षा हो वहाँ 150 दिनों के भीतर परिवाद का निर्णय कर दिया जाना चाहिए ।

10. जिला फोरम के आदेश जिला फोरम की पीठ करने वाले सदस्यों द्वारा तिथि के साथ हस्ताक्षरित किये जायेंगे और उन्हें पक्षकारों को निःशुल्क संसूचित किया जायेगा ।

5. माल के विश्लेषण एवं जाँच के लिये जिला फोरम द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:—

(1) धारा 13 (1) (ग) के अधीन यदि आवश्यक समझा जाय तो जिला फोरम परिवादी को माल का एक अधिक नमूना स्वच्छ पात्र में उस पर ठीक से ढक्कन बन्द कर जमा करने का निर्देश दे सकेगा ।

(2) ऐसे माल का नमूना प्राप्त होने पर जिला फोरम इसे मोहर बन्द कर देगा और पात्र पर निम्नलिखित सूचनायें अंकित करते हुए लेबुल साटेगा :—

(*i*) उपयुक्त प्रयोगशाला का नाम और पता जिसे नमूना विश्लेषण एवं जाँच के लिये भेजा जायेगा ।

(*ii*) जिला फोरम का नाम और पता ।

(*iii*) वाद संख्या ।

(*iv*) जिला फोरम की मुहर ।

(3) जिला फोरम द्वारा नमूना उपयुक्त प्रयोगशाला को 45 दिनों के भीतर अथवा ऐसे बढ़ित समय के भीतर भेजा जायेगा जिसे जिला फोरम अभिकथित दोष की प्रकृति तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि विनिर्दिष्ट करते हुए मंजूर करें ।

5. राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं अन्य भत्ते तथा बंधेज एवं शर्तें:—

(1) राज्य आयोग का अध्यक्ष यदि पूर्णकालिक अवधि के लिये नियुक्त हों तो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्त्ति का वेतन प्राप्त करेंगे अथवा यदि अंशकालिक

आधार पर नियुक्त हों तो 200 रु० प्रतिदिन बैठक के लिये समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे । अन्य सदस्य यदि पूर्णकालिक आधार पर हों तो 3,000 रु० का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे और यदि अंशकालिक आधार पर हों तो बैठक के लिये प्रतिदिन 150 रु० की दर से समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे ।

(2) राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य सरकारी दौरे के संबंध में ऐसे यात्रा भत्ते एवं दैनिक भत्ते के पात्र होंगे जो राज्य सरकार के श्रेणी-1 के पदाधिकारी के लिये अनुमान्य हैं ।

(3) वेतन मानदेय एवं अन्य भत्तों का भुगतान राज्य सरकार की संचित निधि से किया जायेगा ।

(4) राज्य आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य 5 वर्षों तक अथवा 65 वर्ष की उम्र सीमा तक, इसमें जो भी पहले हो, पदधारण करेंगे और पुनः नामांकन के पात्र नहीं होंगे ।

परन्तु अध्यक्ष और सदस्य

(क) स्वहस्ताक्षरित एवं राज्य सरकार को संबोधित पत्र द्वारा किसी समय पद का त्याग कर सकेगा ।

(ख) उप-नियम 5 के उपबन्धों के अधीन अपने पद से हटाया जा सकेगा ।

(5) राज्य सरकार राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी:—

(क) जो दिवालिया, न्याय निर्णीत हो चुका हो ।

(ख) जो किसी ऐसे अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो ।

(ग) जो ऐसे सदस्य के रूप में काम करने में शारीरिक एवं मानसिक रूप से असमर्थ हो गया हो ।

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो जिससे उसके एक सदस्य के रूप में काम करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।

(ङ) जिसने अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया हो कि उसका पद पर बना रहना लोकहित के प्रतिकूल हो ।

परन्तु अध्यक्ष या सदस्य को खंड (घ) एवं (ङ) में विनिर्दिष्ट आधार पर अपने पद से तब तक नहीं हटाया जायेगा जबतक कि राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जाँच नहीं हो जाय और सदस्य को इसका दोषी नहीं पाया जाय ।

(6) नियुक्ति के पूर्व राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को यह वचनबद्ध होना होगा कि वह ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं रखता है और न रखेगा जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

(7) राज्य आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के बंधेज एवं शर्तें इसके कार्यकाल के दौरान इस प्रकार परिवर्त्तित नहीं की जायेगी कि इन्हें हानि हो जाय ।

(8) राज्य आयोग के अध्यक्ष या अन्य किसी सदस्य के उप-धारा (4) के अधीन या अन्यथा पदत्याग या हटाये जाने के कारण हुई प्रत्येक रिक्ति को नयी नियुक्ति से भरा जायेगा ।

(9) यदि राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद की कोई रिक्ति हो तो नियुक्ति के आधार पर (वरीयतम सदस्य जो तत्काल पदधारण किया हो) तबतक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जबतक कि ऐसी रिक्ति को भरने के लिये नियुक्त किया गया व्यक्ति राज्य आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण न कर ले ।

(10) यदि राज्य आयोग का अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी, अथवा अन्य कारणों से अपना कार्य संपादित करने में असमर्थ हो तो राज्य आयोग का (नियुक्ति के क्रम में) वरीयतम सदस्य अध्यक्ष के कार्यों का तबतक संपादन करेगा जबतक कि अध्यक्ष अपने कार्यों का प्रभार पुनः नहीं ले लें ।

(11) अध्यक्ष या कोई सदस्य, इस रूप में पद पर न रह जाने पर किसी ऐसे संगठन में कोई नियुक्ति ग्रहण नहीं करेगा या उनके प्रबन्ध या प्रशासन से संबद्ध नहीं रहेगा जो, जिस तारीख को वह इस पद पर न रह गया हो उस तारीख से से पांच वर्षों की कार्यविधि के दौरान अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही की विषयवस्तु रही हो ।

7. बैठक का स्थल तथा राज्य आयोग से संबंधित अन्य विषय---(1) राज्य आयोग का कार्यालय पटना में अवस्थित रहेगा ।

(2) राज्य आयोग के कार्य दिवस तथा कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जावेंगे ।

(3) राज्य आयोग की सरकारी मुहर और संप्रतीक ऐसे होंगे जिन्हें राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे ।

(4) राज्य आयोग की बैठक आवश्यकतानुसार एवं उप-धारा 2 के उपबन्ध के अनुसार अध्यक्ष द्वारा बुलायी जायेगी ।

(5) राज्य आयोग का कोई कार्य अथवा कार्यवाही मात्र इसकी सदस्यता में रिक्ति या इसके गठन में किसी त्रुटि के कारण अवधिमान्य नहीं होगी ।

(6) राज्य सरकार ऐसे स्टाफ को नियुक्त करेगी जैसे राज्य आयोग को इसके कार्य में तथा ऐसे अन्य कृत्यों, जो इस नियमावली के अधीन उपबन्धित किये गये हों अथवा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये हों, करने में सहायता देने के लिये आवश्यक हों । ऐसे स्टाफ के वेतन का भुगतान राज्य सरकार की संचित निधि से किया जायेगा ।

(7) अभिवचन में अन्यथा, जहाँ तथ्यों की स्वीकृति या मौखिक लिखित रूप में की गयी हो वहाँ राज्य आयोग मामले के किसी प्रश्न प्रक्रम में किसी पक्ष के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से तथा पक्षों के बीच किसी अन्य प्रश्न के अधि-निर्णय की प्रतीक्षा किये बिना ऐसी स्वीकृति का ध्यान रखते हुए ऐसा आदेश देगा या परिवाद को अभिनिश्चित करेगा, जैसा वह उचित समझे ।

(8) यदि धारा 13 के अधीन संचालित कार्यवाही के दौरान राज्य आयोग पक्षों की सुनवाई के लिये एक तिथि नियत करे तो यह परिवादी एवं विरोधी पक्षकार या उसके प्राधिकृत एजेंट के लिये आबद्धकर होगा कि वह सुनवाई की उस तिथि या किसी अन्य तिथि को, जिसके लिये सुनवाई स्थगित की गयी हो, राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित हो । जहाँ परिवादी या उसका प्राधिकृत एजेंट ऐसी तिथि को राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ हो वहाँ राज्य आयोग अपने विवेकानुसार व्यतिक्रम के कारण परिवाद को खारिज कर सकेगा या गुणागुण के आधार पर अभिनिश्चित कर सकेगा । जहाँ विरोधी पक्षकार अथवा उनका प्राधिकृत एजेंट सुनवाई के दिन उपस्थित होने में असफल हो तो राज्य आयोग परिवाद में एक पक्षीय निर्णय ले सकता है ।

(9) यदि उप-धारा (8) के अधीन कार्यवाही करते समय राज्य आयोग ऐसे बंधेजों पर जैसा वह उचित समझे तथा किसी प्रक्रम पर परिवाद की सुनवाई को

(84)

स्थगित कर सकेगा किन्तु सामान्यतया एक से अधिक स्थगन नहीं दिया जायेगा और जहाँ परिवाद में माल के विश्लेषण अथवा जाँच की अपेक्षा न हो वहाँ विरोधी पक्षकार द्वारा सूचना प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर और जहां माल के विश्लेषण और जाँच की अपेक्षा हो वहां 150 दिनों के भीतर परिवाद का निर्णय कर लिया जाना चाहिए ।

(10) राज्य आयोग के पीठ गठित करने वाले सदस्यों द्वारा राज्य आयोग के आदेश तिथि के साथ हस्ताक्षरित होंगे और पक्षकारों को निःशुल्क संसूचित किये जायेंगे ।

8. आयोग की सुनवाई के लिये प्रक्रिया--(1) ज्ञापन अपीलकर्त्ता या उसके प्राधिकृत एजेंट द्वारा वैयक्तिक रूप से या आयोग को संबोधित रजिस्ट्रीकृत डाक से राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन दाखिल किया गया प्रत्येक ज्ञापन स्पष्ट हस्त-लिपि में अधिमानतः टंकित होगा और सुस्पष्ट शीर्षों के अधीन अपील का आधार बिना किसी तर्क अथवा वर्णन के संक्षेप में वर्णित रहेगा और ऐसे आधार क्रमानुसार संख्यांकित रहेंगे ।

(3) प्रत्येक ज्ञापन के साथ जिला फोरम के आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है अनुप्रमाणित प्रतिलिपि तथा ऐसे दस्तावेज जिसकी अपेक्षा ज्ञापन में वर्णित आपत्ति के आधार पर समर्थन के लिये की जाय संलग्न रहेगी ।

(4) जब अपील अधिनियम में विनिर्दिष्ट परिसीमा की समाप्ति के बाद प्रस्तुत की जाय तब ज्ञापन के साथ शपथ-पत्र द्वारा समर्पित एक आवेदन-पत्र संलग्न रहेगा जिसमें उन तथ्यों का वर्णन रहेगा जिनपर अपीलकर्त्ता विश्वास करता हो ताकि राज्य आयोग को यह समाधान हो जाय कि इसके पास परिसीमा के भीतर अपील नहीं करने के पर्याप्त कारण हैं ।

(5) अपीलकर्त्ता ज्ञापन की चार प्रतियाँ राज्य आयोग के कार्यालय का प्रयोजन के लिये प्रस्तुत करेगा ।

(6) सुनवाई की तारीख या किसी अन्य तारीख को जिसके लिये सुनवाई स्थगित की गयी हो पक्षकारों अथवा उनके प्राधिकृत एजेंटों के लिये राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होना आबद्धकर होगा । यदि अपीलकर्त्ता या उसका प्राधिकृत एजेंट उस तिथि को उपस्थित होने में असमर्थ हो तो राज्य आयोग स्वप्रेरणा

से अपील को खारिज कर सकेगा अथवा मामले के गुणागुण के आधार पर अभिनिश्चित कर सकेगा । यदि प्रतिवादी या उसका प्राधिकृत एजेंट उस तिथि को उपस्थित होने में असमर्थ हो तो राज्य आयोग एक पक्षीय कार्रवाई करेगा और मामले का गुणागुण के आधार पर अपील के एकपक्षीय रूप में अभिनिश्चित करेगा।

(7) अपीलकर्त्ता राज्य आयोग की अनुमति के सिवाय अपनी किसी आपत्ति के समर्थन में किसी ऐसे आधार पर बल नहीं देगा और न उसकी सुनवाई की जायेगी जो ज्ञापन में नहीं दिया गया हो, किन्तु राज्य आयोग अपील का विनिश्चय करते समय केवल ज्ञापन में दिये गये या इस नियमावली के अधीन राज्य आयोग की अनुमति से दी गयी आपत्तियों के आधारों तक ही सीमित नहीं रहेगा ।

परन्तु आयोग अपना निर्णय किसी अन्य आधार पर आधारित नहीं करेगा जबतक कि प्रभावित पक्षकार को राज्य आयोग द्वारा सुनवाई की जाने का कम-से-कम एक अवसर नहीं दिया गया हो ।

(8) राज्य आयोग ऐसे बंधेजों पर जिसे वह उचित समझे और किसी क्रम पर अपील की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा, लेकिन साधारणतः एक से अधिक स्थगन नहीं दिया जायेगा और अपील सुनवाई की प्रथम तिथि से 90 दिनों के भीतर निर्णित हो जानी चाहिए ।

(9) अपील पर राज्य आयोग का आदेश पीठ गठित करने वाले राज्य आयोग के सदस्यों द्वारा तिथि के साथ हस्ताक्षरित होंगे. और पक्षकारों को निःशुल्क समुचित किये जायेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र मोहन झा,
सरकार के सचिव ।

जी० एस० आर०—33-जी० एस० आर० 32

दिनांक 28 सितम्बर 1987

दिनांक 28 सितम्बर, 1987 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा (प्र6-बी०का०—29186) ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
चन्द्र मोहन झा,
सरकार के सचिव ।

बि०स०मु० (खाद्य) 1—मो० एल०—1,500—22-12-1997—बा० सा० माथुर